



कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

Employees Provident Fund Organisation

(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)

(MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA)

मुख्य कार्यालय/Head Office

प्लेट ए, ग्राउंडफ्लोर, ब्लॉक-II, ईस्ट किडवाई नगर, नई दिल्ली-110023
Plate A, Ground Floor, Block II, East Kidwai Nagar, New Delhi-110023

Website: www.epfindia.gov.in, www.epfindia.nic.in



दिनांक: 04 जुलाई 2025

फाइल सं: मासंप्र-VII/37(1)97/वीए/पार्ट/ई-38093/9403

कार्यालय आदेश

विषय: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में प्रतिनियुक्ति के आधार पर सतर्कता सहायक के पद पर नियुक्ति का प्रस्ताव।

कभनिस में प्रतिनियुक्ति के आधार पर सतर्कता सहायक के पद पर नियुक्ति के संबंध में चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर, निम्नलिखित कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 [रु. 35,400-1,12,400] पर सतर्कता सहायक के पद पर नियुक्ति का प्रस्ताव जारी किया जाता है। यह नियुक्ति प्रारंभ में तीन वर्षों की अवधि के लिए होगी, जो सतर्कता सहायक के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से मानी जाएगी।

क्र.सं	अधिकारियों के नाम (श्री/श्रीमती/सुश्री)	पदनाम	कभनिस में वर्तमान तैनाती का स्थान	सतर्कता सहायक के रूप में पदस्थापना स्थान
1	नेहा कंवर	एसएसएसए	क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़	जेडवीडी, चंडीगढ़
2	जी.वी. रमण मूर्ति	एसएसएसए	क्षेत्रीय कार्यालय, बरकतपुरा	जेडवीडी, हैदराबाद

2. प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति की शर्तें और नियम इस प्रकार हैं:-

- प्रतिनियुक्ति की शर्तें और नियम दिनांक 05.01.1994 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 2/229/91-स्था./ (वेतन II), दिनांक 17.06.2010 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 6/8/2009-स्था (वेतन II) और कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य अनुदेश/ज्ञापन द्वारा शासित होंगी।
- नियुक्ति आदेश संबंधित अधिकारी/कर्मचारियों की नियुक्ति प्रस्ताव की शर्तों और नियमों को स्वीकार करते हुए लिखित सहमति प्राप्त होने पर सतर्कता अनापत्ति के अधीन जारी किया जाएगा।
- वह नियमानुसार यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता और कार्यभार ग्रहण करने का हकदार होगा/होगी।
- पदभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की समाप्ति पर, प्रतिनियुक्त अधिकारी को प्रतिनियुक्ति अवधि की समाप्ति की तिथि से कार्यमुक्त माना जाएगा, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी अपेक्षित अनुमोदन के साथ, प्रतिनियुक्ति अवधि की समाप्ति की तिथि से पहले लिखित रूप में विस्तार न कर दे।
- यदि कोई अधिकारी किसी भी कारण से निर्धारित अवधि से अधिक समय तक रुकता है तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी तथा अन्य प्रतिकूल परिणाम भी भुगतने होंगे, जिसमें यह शामिल है कि अनधिकृत रूप से अधिक समय तक रुकने की अवधि को पेंशन के प्रयोजन के लिए सेवा में नहीं

गिना जाएगा तथा अनधिकृत रूप से अधिक समय तक रुकने की अवधि के दौरान देय कोई भी वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से उस तिथि तक स्थगित कर दी जाएगी, जिस तिथि को अधिकारी अपने मूल कैडर में पुनः शामिल हो जाता है।

3. यदि उपर्युक्त नियम और शर्तें स्वीकार्य हैं, तो उपर्युक्त अधिकारी/कर्मचारियों को नियुक्ति प्रस्ताव प्राप्त होने के 07 दिनों के भीतर उचित माध्यम से अपनी लिखित सहमति, नवीनतम सतर्कता अनापत्ति के साथ, इस कार्यालय को rpfc.exam@epfindia.gov.in पर भेजें।



(अजय के मेहरा)

अपर के.भ.नि आयुक्त, भर्ती/परीक्षा

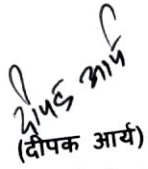
सेवा में,

सभी संबंधित कर्मचारी

[संबंधित कभनिस कार्यालय के माध्यम से]

प्रतिलिपि (कभनिस वेबसाइट के माध्यम से)-

1. केंद्रीय भ.नि आयुक्त के निजी सचिव।
2. वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी/मुख्य सतर्कता अधिकारी/सभी अपर केभनिआ (मुख्यालय) (मुख्यालय एवं अंचल)/निदेशक, पीडीनास के निजी सचिव।
3. सभी अपर केभनिआ, मुख्यालय/अंचल।
4. मुख्य अभियंता/मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी
5. क्षेत्रनिआ-1 (एएसडी) सहित सभी क्षेत्रनिआ-प्रभारी (क्षेका)।
6. मुख्यालय के सभी अधिकारी।
7. सभी उप निदेशक (सतर्कता)/आंचलिक लेखापरीक्षा दल।
8. क्षेत्रनिआ (एनडीसी) - आदेश को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
9. सभी आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान/उप- आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान
10. महासचिव, ईपीएफ अधिकारी संघ, लुधियाना।



(दीपक आर्य)

क्षेत्रीय भ.नि आयुक्त-II, भर्ती/परीक्षा